जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा की दुकान नं0 21 की बोली के नियम व शर्ते

1 बोलीदाता को बोली आरम्भ करने से पहले जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा के नाम से मु0 25,000/-रूपये का बैंक ड्राफट धरोहर के रूप मे इस कार्यालय मे जमा करवाने होंगे बोली दिनांक 18-1-2022 को प्रातः 11-00 बजे बाल भवन मे होगी।

2 दुकान की रिफण्डेबल सिक्योरिटी राशि 3,00,000/- तीन लाख रूपये होगी यदि कोई दुकानदार तीन साल की अवधि पूर्ण होने से पूर्व दुकान खाली करता है तो 1,00,000/-रूपये की सिक्योरिटी राशि नान रिफण्डेबल के तौर पर काटकर शेष राशि 2,00,000/- रूप्ये बिना ब्याज के वापिस दी जावेगी एवं तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद 300000/-रू0 की राशि बिना ब्याज के वापिस की जावेगी ।

3 ठेके की न्यूनतम बोली मु0 10,000/-रूपये मासिक लीज से शुरू की जावेगी। सम्बन्धित दुकान अधिकतम बोली देने वाले को दी जावेगी।

4 सफल बोलीदाता द्वारा रिफण्डेबल सिक्योरिटी के बोली की 25 प्रतिशत राशि मौके पर जमा करवाई जावेगी तथा शेष राशि 3 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। निश्चित अवधि मे राशि जमा करवाने मे असफल होने पर बोलीदाता द्वारा कार्यालय मे धरोहर राशि के रूप मे जमा करवाई गई राशि मु0 25000/-रूपये जब्त कर ली जाएगी।

5 बोलीदाता द्वारा दी गई बोली का अन्तिम निर्णय माननीय उपायुक्त एवं प्रधान जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा को स्वीकृति उपरांत ही मान्य होगा। दुकान का कब्जा देने की अन्तिम तिथि से ठेका शुरू होगा।

6 सफल बोलीदाता को दुकान का कब्जा लेने से पहले एक लीज डीड सम्पन्न करनी होगी। जिसका समस्त हर्जा-खर्चा बोलीदाता को वहन करना होगा।

7 जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा को बिना कोई कारण बताए बोली की तिथि, समय व स्थान बदलने व रदद करने का अधिकार होगा।

8 किसी भी प्रकार के विवाद मे उपायुक्त एवं प्रधान जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

9 दुकान की लील डीड की अवधि 3 वर्ष की होगी। 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात वह लीज डीड अपने आप समाप्त हो जाएगी और दुकान का कब्जा वापिस बाल भवन के अधिकारी को सौप दिया जायेगा । डीड समाप्त होने के बाद नई डीड के लिए नया ठेका दिया जावेगा और नई बोली के लिए दुबारा से प्रक्रिया शुरू की जाएगी

10 सफल बोलीदाता को दुकान की मासिक लीज प्रत्येक माह की सात तारीख तक स्वयं जमा करवानी होगी। देरी की सूरत मे मु0 10/-रूपये प्रतिदिन के हिसाब अतिरिक्त लीज अदा करनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर दुकानदार 3 माह तक लीज फीस जमा नहीं करवाता है तो जिला बाल कल्याण परिषद दुकान खाली करवाने की हकदार होगी ।

Distt. Child Welfare Officer
SIRSA

11 सफल बोलीदाता की दुकान सहमित पत्र लीज डीड पर लेने से पूर्व अपने स्थायी रिहायशी प्रमाण–पत्र के सबूत के कागजात कार्यालय में जमा करवाने अनिवार्य होंगे।

12 सफल बोलीदाता को अपनी दुकान किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को सबलैट करने का अधिकार नही होगा यदि कोई भी व्यक्ति इस शर्त की उल्लंघना करता है और किसी अन्य को सबलैट या किसकी अन्य को कब्जा सौंपता है तो जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा को उसकी लीज डीड रद्द करने करके दुकान का कब्जा लेने का अधिकार होगा ।

13 सफल बोलीदाता को दुकान मे अपने स्तर पर कोई तोड–फोड़, बदलाव, निर्माण व अनैतिक कार्य/व्यापार करने का अधिकार नही होगा। अगर वह कुछ भी इस प्रकार का करना चाहता है तो जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा से पहले ही लिखित में मंजूरी लेनी होगी ।

14 सफल बोलीदाता बिजली का कनेक्शन अपने स्तर पर अपने नाम से लेकर बिल का स्वयं भुगतान करेगा और लीज डीड के समाप्त होने के पश्चात बिजली बिल पूर्ण रूप से भरकर No dues का सर्टीफिकेट जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा को सौपेगा अन्यथा उसकी सिक्योरिटी राशि रोक ली जावेगी ।

15 सफल बोलीदाता सहमति/अनुमति पत्र लीज डीड की अवधि तीन वर्ष की समाप्ति होने के पश्चात दुकान को सही हालत मे जिला बाल कल्याण परिषद को सुपुर्द करवायेगा।

16 सफल बोलीदाता को भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार के सभी टैक्स तथा सभी बिलो का भुगतान स्वयं करना अनिवार्य होगा।

17 सफल बोलीदाता को केवल दुकान के ग्रंाउड फलोर प्रयोग करने का अधिकार होगा । दुकान की छत व बरामदे को इस्तेमाल करने का कोई हक नही होगा। जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा दुकान की छत पर प्रथम मंजिल के निर्माण कार्य करने मे स्वतंत्र होगी। इस पर दुकानदार को कोई आपत्ति नही होगी। अगर लाईसैंसी इन पर encroachment **करता है तो बेदखली का हकदार होगा**

18 बोली शुरू होने से पहले तक अगर कमेटी चाहे तो कोई भी बोलीदाता नकद राशि 25000/–पच्चीस हजार रूपये धरोहर के रूप मे देकर बोली दे सकता है । कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा ।

19 यह कि द्वितीय पक्ष जिस फर्म के नाम से दुकान लेगा उस फर्म का पंजीकृत प्रमाण पत्र भागिता विलेख प्रथम पक्ष को दुकान की बोली में भाग लेते समय या दुकान में प्रवेश से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करेंगा । द्वितीयपक्ष की सारे कागजो की तसदीक कार्यालय द्वारा पूर्ण होने के बाद ही उसके सांथ लीज डीड बनाई जावेगी

Distt. Child Welfare Officer
SIRSA